न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/202

1. देवलाल आत्मज भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
2. रामजस आत्मज भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
3. बाबूडी पुत्री भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
4. निर्मला पुत्री भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
5. छोटी पुत्री भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
6. समदी पुत्री भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
7. कान्ती पुत्री भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
8. पाना पुत्री भंवरलाल जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामकरण आत्मज रामचन्द्र जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
2. कालू आत्मज बेज्या जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
3. लादू आत्मज बेज्या जाति गूजर निवासी ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1.कैलाश चन्द नामधराणी– अधिवक्ता अपीलांटगण
2.पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4

निर्णय दिनांक 24.02.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 111/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कृषि भूमि खाता संख्या 166 मे दर्ज खसरा संख्या 508 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 509 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 510 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 511 रकबा 2 बीघा , खसरा संख्या 512 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खसरा संख्या 513 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 514 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 515 रकबा 14 बिस्वा, खसरा सख्या 516 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम ओधन्धा तहसील हिण्डोली मे स्थित है, जो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु मेन रास्ते से खसरा सख्या 427 मे से होकर खसरा सख्या 516 मे पहुंचता है। खसरा संख्या 516 से होते हुए खसरा संख्या 502 में से होते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात मे जाता है। खसरा सख्या 427 अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 की खातेदारी की भूमि है एवं खसरा संख्या 502 सिवायचक भूमि है, जो गैर मुमकिन शमसान के रूप मे दर्ज है जिसकी खातेदार राज्य सरकार है। खसरा सख्या 516 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी की है। पूर्व मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्त से अपनी भूमि पर आता–जाता रहा है। कृषि उपज, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि इसी रास्ते से लाता ले जाता रहा है। खसरा सख्या 427 अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 अपीलांटगण की खातेदारी मे दर्ज है, लेकिन खातेदारान के मन मे बदनियति आ गई है जिससे एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के साथ मिलकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आने–जाने के रास्ते पर अवरोध पैदा कर दिया है, और उक्त रास्ते का स्वरूप बिगाड़ दिया है तथा उक्त रास्ते को हांक जोतकर अपने खेत मे मिला लिया है। वर्तमान मे वहां पर कोई रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 427 के बाद उक्त रास्ता खसरा संख्या 516 की मेड पर बना हुआ है। उसके बाद खसरा संख्या 502 मे से होता हुआ प्रार्थी रेस्पोडेंन्ट सख्या 1 के

खेत मे जाता है, अप्रार्थी संख्या 1 से 10 अपीलांटगण एक की परिवार के सदस्य है लेकिन वर्तमान मे भूमि की कीमत बढ़ जाने के कारण व व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 अपीलांटगण रास्ते को हांक देते है। जिससे प्रार्थी के समक्ष अपनी कृषि भूमि पर कृषि उपकरण, सिंचाई के साधन व बैलगाड़ी, ट्रेक्टर–ट्रोली लाने ले जाने मे कठिनाई उत्पन्न होने लग गई है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते को 15 फीट चौड़ा करवाकर राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 , अप्रार्थीगण को उनके खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि का मुआवजा नियमानुसार अदा करने को तत्पर है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु मैन रास्ते से खसरा संख्या 427 मे से खसरा सख्या 516 तक तथा खसरा सख्या 516 से खसरा संख्या 510 मे विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने एवं रास्ते की भूमि को रास्व नक्शे मे तरमीम किये जाने का निवेदन किया । साथ ही उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये गए। अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 अपीलांटगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 05.08.2022 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 की खातेदारी की आराजीयात मे से कायम किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय 05.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक का समय हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 उपस्थित नहीं होने से तामील मानी जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का

अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत कानूनी प्रकियाओं का पूर्णरूप से पालन किये बगैर पारित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नया रास्ता दिये जाने के लिये सर्वप्रथम यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता अपने खेतों पर आने–जाने का नहीं है। अपीलांट अप्रार्थीगण ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया था कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी भी चाहे गये रास्ते खसरा संख्या 416, 427 मे से कभी भी अपने खेतों पर नहीं आया–गया है और न ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता बना हुआ है, बल्कि अप्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपने जवाब मे यह निवेदन किया था कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी भूमियों पर आम रास्ते से भूमि खसरा संख्या 1033/476 के पूर्वी ओर बनी गांव से आने वाली गडार से होता हुआ भूमि खसरा संख्या 1033/476, खसरा सख्या 476 के दक्षिणी ओर विस्थित खसरा संख्या 430 सिवायचक भूमि पर होता हुआ खसरा संख्या 476 की पश्चिमी मेर से होता हुआ खसरा संख्या 499 व खसरा सख्या 501 के उत्तरी ओर होता हुआ भूमि खसरा संख्या 503 की उत्तरी मेर पर होता हुआ अपने खेतों पर आता–जाता रहा है। प्रार्थी 50 वर्षो से भी अधिक समय से अप्रार्थीगण द्वारा बताऐ गये रास्ते का उपयोग–उपभोग कर अपने खेतों पर आता जाता रहा है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ताकत व धन के बल पर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अप्रार्थीगण अपीलांटगण के खेतों को नष्ट करने के लिये अप्रार्थीगण के खेतों मे से रास्ता निकालना चाहता है। अप्रार्थीगण ने जिस रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खेतों पर आता जाता है, उक्त रास्ते के फोटोग्राफ भी अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये थे, साथ ही अप्रार्थीगण अपीलांटगण ने अपने कथनों के समर्थन मे अपीलांट रामजस, शोजी व भंवरलाल के शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किये थे जिसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजों व शपथ–पत्रों पर कोई विचार नहीं कर केवल मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट जो अप्रार्थीगण अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई, को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है। उक्त रिपोर्ट भी राजस्व कर्मियों ने राजनैतिक दबाव मे तैयार की है। अप्रार्थीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय को भी अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ते को दिखाया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहकर कि

अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता उपयुक्त नहीं है, रास्ते का अवलोकन नहीं किया। जबकि गांव के समस्त व्यक्ति उक्त रास्ते का ही उपयोग उपभोग कर खसरा संख्या 502 जिसमे शमसान बना हुआ है, पर आते–जाते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव मे झूंठी रिपोर्ट तैयार करवाकर अप्रार्थीगण अपीलांटगण की भूमि खसरा सख्या 429 व खसरा सख्या 416 मे नया रास्ता देने की वैधानिक त्रुटि की है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र मे मेन रास्ते से खसरा संख्या 427, 516 मे होते हुए अपने खेतों पर पहुंचने का तथ्य अंकित किया है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने राजनैतिक दबाव मे अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 429, 416 की उत्तरी मेड पर रास्ता होने का अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त त्रुटि को बिना किसी आधार के प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के खेतों मे रास्ता प्रदान करने का आदेश दिया जो कि कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे चाही गई सहायता ही उपलब्ध करवा सकता है, उससे भिन्न नहीं । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के इस सर्वमान्य सिद्धान्त का पालन नहीं कर अप्रार्थीगण अपीलांटगण की भूमियों मे से रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित करने की वैधानिक त्रुटि की है। धारा 251(क) के प्रावधान तभी लागू होते है जब आवेदक के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी कृषि आराजीयात पर आने–जाने हेतु उपलब्ध नहीं हो। रास्ता उपलब्ध होते हुए सुविधा के लिये आवेदक को अन्य सुलभ रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते की जगह कोई रास्ता बना हुआ हो, इस प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली मे उपलब्ध नहीं होने , प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की इस संबंध मे कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद केवल राजस्व अधिकारियों से ली गई रिपोर्ट जो कि राजनैतिक दबाव मे बनाई गई है, को आधार बनाकर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। जबकि अप्रार्थीगण की ओर से बताये गये रास्ते के संबंध मे पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई विचार नहीं कर अप्रार्थीगण के खेतो से रास्ता दिए जाने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांटगण की एकतरफा बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे स्वयं की खातेदारी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग मुख्य रास्ते से खसरा संख्या 427 रकबा 0.09 हैक्टेयर , जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा संख्या

516 रकबा 0.18 जो कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की स्वयं की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा संख्या 502 रकबा 0.17 हैक्टेयर जो कि गैर मुमकिन शमशान के रूप मे दर्ज रेकॉर्ड है, में से रास्ता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण संख्या 3 से 10 अपीलांटगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खसरा सख्या 1033/476 व खसरा संख्या 476 के दक्षिणी से खसरा संख्या 430 रकबा 8.13 हैक्टेयर सिवायचक, खसरा सख्या 503 रकबा 0.08 हैक्टेयर शमशान की उत्तरी से अपने खाते के खेत पर आता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2021 व अन्य रिपोर्टस दिनांक 19.04.2022, दिनांक 24.06.2022 तथा दिनांक 11.07.2022 संलग्न है। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि धारा 251(क) के तहत कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हो तभी आत्यांतिक आवश्यकता होने पर नवीन रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1033/476 की पूर्वी गडार से होता हुआ, खसरा नम्बर 476 के दक्षिणी ओर स्थित खसरा सख्या 430 सिवायचक भूमि पर होता हुआ, खसरा संख्या 476 की पश्चिमि मेड़ से खसरा सख्या 499 व खसरा सख्या 501 के उत्तरी से खसरा संख्या 503 की उत्तरी मेर पर होता हुआ अप्रार्थीगण के खेतों पर पूर्व से वैकल्पिक रास्ता होना बताया है तथा इस सम्बंध मे फोटोग्राफ का अवलोकन करवाया गया। इस सम्बंध मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2021 कि अनुसार मौके व राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 514 तक जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 430 मे से निकले हुए रास्ते मे खसरा नम्बर 429 मे 0.0243 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 416 मे 0.0486 हैक्टेयर भूमि पर निकलना निकटतम व सुविधाजनक है। मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 416 से होता हुआ सिवायचक खसरा नम्बर 502 गैर मुमकिन शमशान की मेड़ से प्रार्थी अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 514 पर पहुंचता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2021 पर अप्रार्थीगण अपीलांटगण ने आपत्ति प्रस्तुत की। इस पर दिनांक 19.04.2022 को रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसी प्रकार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक दिनांक 19.04.2022 मे स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 427 के संबंध मे मौका एवं नक्शा लट्ठा अनुसार खसरा सख्या 427 की लोकेशन उत्तर से दक्षिण स्थित है, जबकि प्रार्थी को रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर चाहिए। वे वर्तमान मे भी खसरा नम्बर 429, 416 वाले प्रस्तावित रास्ते से ही आते–जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर आने–जाने के लिये ओर कोई निकटतम रास्ता नहीं है। पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 मे बिन्दु संख्या 3 मे स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा बताये गये चालू रास्ता खसरा नम्बर 1033/476, 476, 430, 503 का मौका निरीक्षण किया, मौके पर कोई रास्ता बना हुआ

नहीं है और न ही प्रार्थी इस रास्ते से आता–जाता है। बिन्दु संख्या 4 मे स्पष्ट किया गया है कि नक्शा लट्ठा व मौका अनुसार खसरा संख्या 427 तथा खसरा संख्या 510, 516 निकटवर्ती नहीं होकर दूरस्थ खसरा नम्बर है तथा इनमे से मौके पर कोई रास्ता निकला हुआ नहीं है। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु प्रस्तावित अनुसार खसरा संख्या 429 , 416 से ही निकटतम व सुगम रास्ता हैं। इसी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 मे अंकित है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते के अलावा, अन्य कोई रास्ता मौके अनुसार नहीं है। स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 11.07.2022 को मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार भी प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होना अंकित है। इससे स्पष्ट है कि स्वयं पीठासीन अधिकारी ने भी मौका निरीक्षण किया। तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त रिपोर्टस एवं स्वयं के निरीक्षण में संक्षिप्त जांच मे कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं पाया गया । कई मौका रिपोर्ट व संक्षिप्त जांच से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है तथा मौके पर वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। अपीलांट का यह तर्क है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है। हमने रिपोर्टस का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2021 मे अप्रार्थी कालू, लादू, देवलाल, रामजस, पाना को उपस्थित होना अंकित किया गया है तथा आगे कॉलम मे इनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करना अंकित है। मौका रिपोर्ट मे नीचे कॉलम मे तीन अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर भी है। अपीलांट अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा दिनांक 11.09.2021 के पश्चात दिनांक 19.04.2022 एवं दिनांक 24.04.2022 को पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा दिनांक 11.07.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे भी अंकित है कि अप्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना किया। अतः यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका दिया गया तथा उसके पश्चात ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार यदि मौका रिपोर्ट एवं मौका निरीक्षण से अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति थी तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर अप्रार्थीगण को प्रदान किये जाना सिद्ध होता है। अप्रार्थीगण अपीलांट का यह कथन कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) मे खसरा संख्या 427 के खातेदारान द्वारा रास्ते मे अवरोध किये जाने का कथन किया था, किन्तु न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 429 व 416 पर रेस्पोडेन्ट को रास्ता दिया गया है जो अपीलांट के स्वामित्व की भूमि है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने चाहे गए अनुतोष से बाहर जाकर कानूनन गलत निर्णय पारित किया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खसरा नम्बर 427 मे से खसरा नम्बर 516 तक अपने खेतों पर पहुंचने का तथ्य अंकित किया है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा सख्या 429 व 416 की उत्तरी मेर पर रास्ता

होना अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत सभी मौका रिपोर्ट तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया। प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित है, जिसमे प्रथम प्रस्तावित मौका रिपोर्ट दिनांक 11.09.2021 को ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की जा चुकी थी । मौके की स्थिति राजस्व कार्मिकों द्वारा नाप–जोख के बाद ही स्पष्ट हो होती है अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के इस अभिमत से सहमत है कि जानकारी के अभाव मे केवल गलत खसरा नम्बर अंकन के आधार पर प्रकरण को खारिज करना उचित नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) मे संक्षिप्त जांच का प्रावधान है, जिसमे संक्षिप्त जांच उपरांत 90 दिवस मे निर्णय करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.07.2019 को दर्ज हुआ तथा निर्णय दिनांक 05.08.2022 को पारित हुआ। लगभग 3 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय मे विचारण के दौरान कई बार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है तथा अपीलांट अप्रार्थी को सुनवाई एवं आपत्ति का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। मौका रिपोर्टस एवं मौके की स्थिति अनुसार पूर्व से कोई वैकल्पिक मार्ग स्थित नहीं होना पाते हुए तथा प्रस्तावित रास्ता वर्तमान मे मौके पर निकटतम होना सिद्ध होने के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है, जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होना पाते है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली के प्रकरण संख्या 111/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 05.08.2022 यथावत रखा जाता है।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकार
कोटा(राज0)